



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 5 अक्टूबर 1981

आश्विन 13, 1903 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायिका अनुभाग--1

संख्या 2535/सत्रह-वि-1-128-78

लखनऊ, 5 अक्टूबर, 1981

अधिसूचना  
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर विधेयक, 1981 पर दिनांक 1 अक्टूबर, 1981 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1981 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1981)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

सिनेमा में प्रदर्शित विज्ञापनों पर कर आरोपण और उससे सम्बन्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य की वत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों, या राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम और  
प्रारम्भ

परिभाषायें

2—इस अधिनियम में—

(क) "विज्ञापन" का तात्पर्य स्लाइड या फिल्म के माध्यम से किसी माल, सम्पत्ति, आमोद, व्यापार, कारबार या वृत्ति की प्रज्ञापना या घोषणा से है ;

(ख) "सिनेमा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अधीन चल-चित्र यंत्र के माध्यम से फिल्म प्रदर्शित करने के लिये लाइसेन्स प्राप्त किसी स्थान से है ;

(ग) "आयुक्त" का तात्पर्य आमोद और पणकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश से है, और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयुक्त की समस्त या किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत अपर आमोद और पणकर आयुक्त, संयुक्त आमोद और पणकर आयुक्त, उप आमोद और पणकर आयुक्त और कोई अन्य अधिकारी भी है ;

(घ) सिनेमा के सम्बन्ध में, "मालिक" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :—

(एक) यू० पी० सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 के अन्तर्गत उसका लाइसेंस-गृहीता ;

(दो) कोई व्यक्ति जो उसके प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी या तत्समय उसका प्रभारी हो ;

(तीन) कोई व्यक्ति जिसे उसमें किसी स्लाइड या फिल्म के प्रक्षेपण के कार्य का प्रभार हो ;

(ड़) "कर" का तात्पर्य विज्ञापन कर से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन आरोपित कोई शास्ति या अन्य प्रभार भी है ।

विज्ञान पर कर का आरोप

3—(1) किसी सिनेमा में पर्दे पर प्रदर्शित समस्त विज्ञापनों पर विज्ञापन कर ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित करें, प्रभारित, उदगृहीत और अदा किया जायगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर की दर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी—

(क) विज्ञापन लघु चित्र की स्थिति में, प्रति पैंतालीस मीटर या उसके भाग पर प्रति सप्ताह या उसके भाग के लिये पचीस रुपये ;

(ख) किसी फिल्म की झलकियों (ट्रेलर) की स्थिति में, प्रतिदिन दो रुपये ;

(ग) किसी स्लाइड की स्थिति में, प्रति स्लाइड प्रतिदिन पचास पैसा ;

(घ) किसी अन्य विज्ञापन की स्थिति में, प्रति विज्ञापन प्रतिदिन पचास पैसा ।

(3) इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिये या विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के लिये कर की विभिन्न दर अधिसूचित करने से प्रवारित नहीं करेगी ।

(4) इस धारा के अधीन देय कर की संगणना करने में कर के देय धन को, जहां कहीं आवश्यक हो, पांच पैसे के अगले उच्चतर गुणित में पूर्णांकित किया जायगा ।

कर के भुगतान का दायित्व

4—कर, विहित रीति से, मालिक से लिया और उसके द्वारा भुगतान किया जायगा, किन्तु किसी प्रतिकूल संविदा के अधीन रहते हुए, स्वयं द्वारा कर के सम्बन्ध में भुगतान की गयी या देय राशि को मालिक ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगा जिसकी ओर से विज्ञापन प्रदर्शित किया जाय ।

लेखा-वही आदि रखने का कर्तव्य

5—विज्ञापनों के प्रदर्शन के सम्बन्ध में मालिक ऐसी लेखा-वही रखेगा और ऐसे अन्तराल पर ऐसा विवरणियां प्रस्तुत करेगा जैसी विहित की जायं ।

छूट

6—(1) निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई कर देय नहीं होगा—

(क) किसी सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के लिए या उसकी ओर से प्रदर्शित कोई विज्ञापन ;

(ख) किसी सिनेमा में जिसमें स्लाइड प्रदर्शित की जा रही हो, रूपक चित्रों (फीचर फिल्म) के प्रदर्शन से सम्बन्धित कोई स्लाइड ।

(2) जहां जिला मजिस्ट्रेट, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि कोई विज्ञापन बिन किसी लाभ के, लोकोपयोगी, पूत या शैक्षिक प्रयोजन के लिये प्रदर्शित किया जाता है वहां वह ऐसे विज्ञापन को कर के भुगतान से छूट दे सकता है ।

7--जहाँ आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि मालिक ने वास्तविक रूप से देय राशि से अधिक कर जमा किया है, वहाँ वह ऐसी राशि को वापस कर देगा या भविष्य में भुगतान किये जान वाले कर के प्रति उसे समायोजित करेगा ।

कर वापस करना

8--(1) जहाँ आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि मालिक ने--

(क) इस अधिनियम के अधीन देय कर के भुगतान का किसी भी तरह से कपटपूर्वक अपवंचन किया है या अपवंचन करने का प्रयास किया है, या

(ख) सही और सम्पूर्ण विवरणियाँ, उनके लिये विहित समय के भीतर तैयार करने या प्रस्तुत करने में चूक की है,

वहाँ वह मालिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार, मालिक द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण करेगा, और शास्ति भी आरोपित कर सकता है जो पांच सौ रुपये या देय कर की राशि के दुगुने से, जो भी अधिक हो, अधिक न होगी ।

विवेक बुद्धि के अनुसार कर निर्धारण

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसा आदेश तामील होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, राज्य सरकार को अपील कर सकता है, और ऐसी अपील पर अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा ।

9--(1) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसी सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से किसी भी युक्तियुक्त समय पर किसी सिनेमा या किसी स्थान में, जिसे उससे संबंधित अभिलेख रखने के लिये प्रयुक्त किया जाता हो या जिसके सम्बन्ध में इस प्रकार प्रयुक्त किये जाने का संदेह हो, प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है और विज्ञापन के प्रदर्शन से संबंधित ऐसे अभिलेख को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, अपने कब्जे में ले सकता है या उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है ।

निरीक्षण

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रवेश करने, तलाशी लेने या निरीक्षण करने की शक्ति का प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा भी उस जिले के भीतर जहाँ वह तत्समय तैनात हो, किया जा सकता है ।

(3) मालिक उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट निरीक्षक अधिकारी को सभी युक्तियुक्त सहायता देगा ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक निरीक्षक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थात्तर्गत लोक-सेवक समझा जायेगा ।

10--(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर का भुगतान करने में चूक करता है या उसका अपवंचन करता है, दोष-सिद्धि पर, एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

शास्ति

(2) कोई व्यक्ति जो किसी निरीक्षक अधिकारी को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों के पालनार्थ प्रवेश करने से रोकता है या अन्य प्रकार से बाधा पहुंचाता है, दोष-सिद्धि पर एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

(3) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन करता है, या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किये गये किसी आदेश या निदेश का अनुपालन करने में चूक करता है, दोष-सिद्धि पर, पांच सौ रुपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

11--(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य-संचालन का प्रभारी और उसके लिये कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध के लिये दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा :

कम्पनी द्वारा अपराध

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौना-

सुमति से किया गया है या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसा प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिये —

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

12—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये कोई अभियोजन जिला [मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं किया जायगा।

13—(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन चाहे अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, आयुक्त द्वारा, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, अपराध के लिये नियत जुर्माना की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा।

(2) जहाँ अपराध का इस प्रकार शमन,—

(क) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहाँ अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा।

(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहाँ शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा।

14—कर के मद्धे देय कोई राशि, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार को उपलब्ध वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मू-राजस्व की वकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

15—राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई कार्यवाही ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्-भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये तात्पर्यित हो।

16—(1) राज्य सरकार, धारा 2 के खण्ड (ग), धारा 3 और धारा 20 में निर्दिष्ट शक्तियों के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या कोई शक्ति अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित कर सकती है और इस प्रकार प्रत्यायोजित किसी शक्ति को इसी प्रकार वापस ले सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यायोजित किसी शक्ति का प्रयोग ऐसे निबन्धनों, प्रति-बन्धों या शर्तों के अधीन किया जायगा जैसा राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित करे।

17—आयुक्त को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये सिनेमा के मालिकों को समय-समय पर ऐसे निदेश जारी करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो।

18—प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग कर लिये जाने के पश्चात् राज्य सरकार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कर के मद्धे प्राप्त राशि में से वसूली का व्यय काटने के पश्चात् शेष धनराशि राज्य की संहत निधि से निकालेगी और उसे ऐसी रीति से और ऐसे अनुपात में, जैसा विहित किया जाय, स्थानीय निकायों को अन्तरित करेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ पद 'स्थानीय निकाय' का तात्पर्य किसी म्युनि-सिपल बोर्ड, नगर महापालिका, नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी या जिला परिषद से है।

19—जहाँ इस अधिनियम के अधीन कर देय हो वहाँ किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी सिनेमा के भीतर पदों पर प्रदर्शित विज्ञापनों पर कोई कर, उपकर, शुल्क या अन्य उद्ग्रहण देय नहीं होगा।

20—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

अभियोजन के लिए स्वीकृति

अपराधों का शमन

कर की वसूली

कतिपय कार्य-वाहियों पर रोक

प्रत्यायोजन

आयुक्त को निदेश जारी करने की शक्ति

स्थानीय निकायों को कर की राशि का भुगतान।

अन्य अधिनिय-मितियों के अधीन कर से छूट

नियम बनाने की शक्ति

आज्ञा से,

गंगा लखश सिंह,

सचिव।

No. 2535 (2) /XVII-V-1-128-78

Dated Lucknow, October 5, 1981

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vigyapan Kar Adhiniyam, 1981 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1981), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 1, 1981:

THE UTTAR PRADESH ADVERTISEMENTS TAX ACT, 1981

[U. P. ACT NO. 16 OF 1981]

(AS PASSED BY THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE)

AN  
ACT

to provide for the levy of tax on advertisements exhibited in cinemas and for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows:

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Advertisements Tax Act, 1981. Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf, and different dates may be so appointed for different provisions of this Act, or for different areas of the State.

2. In this Act—

Definitions.

(a) "advertisement" means the intimation or announcement of any goods, property, entertainment, trade, business or profession by means of a slide or film;

(b) "cinema" means a place licensed to exhibit films by means of a cinematograph under the provisions of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955;

(c) "Commissioner" means the Entertainment and Betting Tax Commissioner, Uttar Pradesh, and includes the Additional Entertainment and Betting Tax Commissioner, the Joint Entertainment and Betting Tax Commissioner, the Deputy Entertainment and Betting Tax Commissioner, and any other officer authorised by the State Government by notification to exercise all or any of his powers under this Act;

(d) "Proprietor" in relation to a cinema includes—

(i) the licensee thereof, within the meaning of the U. P. Cinematograph Rules, 1951;

(ii) any person responsible for or for the time being in charge of the management thereof;

(iii) any person charged with the work of projecting any slide or film therein;

(e) "tax" means advertisement tax and includes any penalty or other charge levied under this Act.

3. (1) On all advertisements exhibited on the screen in a cinema there shall be charged, levied and paid, an advertisement tax at such rate as the State Government may from time to time notify in this behalf. Levy of tax on advertisements.

(2) The rate of tax referred to in sub-section (1) shall not exceed—

(a) in the case of an advertisement short, for every forty-five meters or part thereof, twenty-five rupees per week or part thereof;

(b) in the case of a trailer of film, two rupees per day;

(c) in the case of a slide, fifty paise per slide per day ;

(d) in the case of any other advertisement, fifty paise per advertisement per day.

(3) Nothing in this section, shall preclude the State Government from notifying different rates of tax for different areas of the State or for different kinds of advertisements.

(4) In computing the tax payable under this section, the tax liability shall, whenever necessary, be rounded off to the next higher multiple of five paise.

**Liability to pay tax.**

4. The tax shall be charged from and paid by the proprietor in the manner prescribed but, subject to any contract to the contrary, the amount paid or payable by the proprietor in respect of the tax shall be recoverable by him from any person on whose behalf the advertisement is exhibited.

**Duty to keep books of accounts etc.**

5. The proprietor shall keep such books of account and submit such returns at such intervals in respect of the exhibition of advertisements as may be prescribed.

**Exemptions.**

6. (1) No tax shall be payable in respect of—

(a) any advertisement exhibited for or on behalf of any Government or local authority ;

(b) any slide relating to the exhibition of feature films in the cinema in which the slide is being exhibited.

(2) Where the District Magistrate, or any other officer authorised by the State Government in this behalf, is satisfied that any advertisement is exhibited for philanthropic, charitable or educational purposes without any profit, he may exempt such advertisement from payment of tax.

**Refund of tax.**

7. Where the Commissioner is satisfied that the proprietor has deposited tax in excess of the amount actually due, he shall grant a refund in respect of such amount or allow its adjustment against future payments of tax.

**Best judgement Assessment.**

8. (1) Where the Commissioner is satisfied that the proprietor—

(a) has fraudulently evaded or attempted to evade, in any form whatsoever, the payment of tax due under this Act ; or

(b) has failed to prepare or to submit true and full returns within the time prescribed therefor ;

he shall, after giving the proprietor a reasonable opportunity of being heard, assess to the best of his judgment, the amount of tax due from the proprietor, and may also impose a penalty not exceeding five hundred rupees or double the amount of tax due, whichever is greater.

(2) Any person aggrieved by an order under sub-section (1) may, within thirty days from the date of service of such order, prefer an appeal to the State Government in such manner as may be prescribed, and the order of the appellate authority on such appeal shall be final.

**Inspections.**

9. (1) The Commissioner or any other officer authorised by him in this behalf may, with such assistance as may be necessary, enter, inspect and search any cinema or any place used or suspected to be used, for keeping records connected therewith, at any reasonable time with a view to securing compliance of the provisions of this Act, and may take in his possession or require the production of such records relating to the exhibition of advertisements, as he considers necessary.

(2) The powers of entry, search and inspection under sub-section (1) may also be exercised by the District Magistrate or an officer authorised by him, within the district to which he is for the time being posted.

(3) The proprietor shall give every reasonable assistance to the inspecting officer specified in sub-section (1) or sub-section (2).

(4) Every inspecting officer specified in sub-section (1) or sub-section (2) shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

10. (1) Any person who fails to pay, or evades the payment of, any tax due under this Act shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding one thousand rupees.

Penalties.

(2) Any person who prevents the entry of, or otherwise obstructs, any inspecting officer in the discharge of his duties under this Act or the rules made thereunder shall, on conviction, be punishable with a fine not exceeding one thousand rupees.

(3) Any person who contravenes any other provisions of this Act or the rules made thereunder, or fails to comply with any order or direction issued under this Act or the rules made thereunder shall, on conviction, be punishable with a fine not exceeding five hundred rupees.

11. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Offences by Companies.

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this section has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any managing agent, secretary, treasurer, director, manager or other officer of the company, such managing agent, secretary, treasurer, director, manager or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

*Explanation*—For the purposes of this section—

(a) "company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals, and

(b) "director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

12. No prosecution for any offence punishable under this Act shall be instituted except with the previous sanction of the District Magistrate.

Sanction of prosecution.

13. (1) Any offence punishable under this Act may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, be compounded either before or after the institution of the prosecution, by the Commissioner on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence.

Compounding of offence.

(2) Where the offence is so compounded—

(a) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty;

(b) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender.

14. Any sum due on account of tax shall, without prejudice to any other mode of recovery available to the State Government under any other law for the time being in force, be recoverable as arrears of land revenue.

Recovery of tax.

Bar of certain proceedings.

15. No action shall lie against the State Government or any of its officers or servants for any act done or purporting to be done in good faith under this Act or the rules made thereunder.

Delegation.

16. (1) The State Government may, by notification, delegate all or any of its power under this Act, except the powers referred to in clause (c) of section 2, section 8 and section 20, to any person or authority subordinate to it and may in the like manner withdraw any power so delegated.

(2) The exercise of any powers delegated under sub-section (1) shall be subject to such restrictions, limitations or conditions, as may be laid down by the State Government from time to time.

Power of Commissioner to issue directions.

17. The Commissioner shall have the power to issue directions from time to time not inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder to the proprietors of cinemas for carrying out the purposes of this Act.

Payments of the amount of tax to local bodies.

18. At the beginning of each financial year, after due appropriation has been made by law, the State Government shall withdraw from and out of the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to the sum received by it on account of the tax in the preceding financial year after deduction charges, and transfer it to the local bodies in such manner and in such proportion as may be prescribed.

*Explanation*—For the purposes of this section, the expression "local body" means a municipal board, nagar mahapalika, notified area committee or town area committee or zila parishad.

Exemption from tax under other enactments.

19. No tax, cess, duty or other levy on advertisements exhibited on screen inside a cinema under any other Uttar Pradesh Act shall be payable where a tax is payable under this Act.

Power to make rules.

20. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

By order,  
G. B. SINGH,  
Sachiv.